संख्या-24 /2234 ई-2/तेरह-2014-39/2012

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 17 नवम्बर,2014

विषय:-अल्कोहल वर्ष 2013-14 में अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-28/नौ-2013-14/अ0नि0/677/देश के बाहर, दिनांक 07 नवम्बर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 नवम्बर,2014 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2013-14 की अवशेष अवधि मात्र माह नवम्बर,2014 में मे0 धामपुर शुगर मिल्स लि0, धामपुर जनपद बिजनौर को 10 लाख (दस लाख) ब0ली0 रेक्टीफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुनील कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra